LEGISLATIVE ASSEMBLY
NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

COMMITTEE ON QUESTIONS AND REFERENCE COMMITTEE

FIRST REPORT OF THE SEVENTH ASSEMBLY

SUBJECT: INQUIRY REPORT IN R/O STARRED QUESTION NO.23 DATED 30.7.2021 PERTAINING TO DEPARTMENT OF CO-OPERATIVE SOCIETIES, GOVT. OF NCT OF DELHI

PRESENTED ON 26TH NOVEMBER, 2021
ADOPTED ON 26TH NOVEMBER, 2021

Legislative Assembly, Old Secretariat, Delhi – 110054

INDEX

Introduction……………………………………………………………………………01

Background……………………………………………………………………………03

Proceedings……………………………………………………………………………04

Observations……………………………………………………………………………13

Recommendations……………………………………………………………………17

LEGISLATIVE ASSEMBLY
NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
QUESTIONS AND REFERENCE COMMITTEE

Sub: Report of the Questions and Reference Committee regarding reply to Starred Question No.23 pertaining to the Department of Co-operative Societies of Govt. of NCT of Delhi.

INTRODUCTION

1. In the proceedings of the Session of the House on 30.07.2021 Shri Saurabh Bharadwaj, Hon'ble Member raised a Starred Question No.23 relating to the Department of Co-operative Societies. Shri Rajendra Pal Gautam, Hon'ble Minister replied in detail to the Question. However, Shri Saurabh Bharadwaj alleged that the reply was incorrect and misleading. The Hon'ble Speaker directed that the reply of RCS to the Starred Question be referred to the Questions and Reference Committee which should submit its report within a month. The Question and written reply of the Department is placed at **Annexure-A**.

2. The question asked was regarding irregularities in Miyanwali District CHBS Ltd. and grant of membership and recommendation of name of Shri Vikas Dhamija to DDA for allotment of a plot of 300 Sq. Yards without submission/examination of the requisite original documents prescribed under Clause 23 of Schedule VII of DCS Rules, 2007.

3. The Committee interacted with the Officers of the Department of Registrar Co-operative Societies, present and Ex-office bearers of the Miyanwali District CHBS Ltd. and Members of the Rule 90 Committee and examined the issue in its sitting held on 04.08.2021, 10.08.21 and 17.08.2021.

4. The observations/recommendations of the Committee in the aforesaid matter have been included in the report.

5. The Report was adopted by the Committee in its sitting held on 09.09.2021. Shri Saurabh Bharadwaj, recused himself from the sitting with the permission of the Chair.

*****

BACKGROUND

1. The matter relates to a Starred Question No.23 dated 30.07.2021 raised by Shri Saurabh Bharadwaj, Hon'ble Member of Legislative Assembly regarding irregularities in Miyanwali District CHBS Ltd. and grant of membership to Shri Vikas Dhamija and recommendation of his name to DDA for allotment of 300 Sq. Yard plot without production of relevant original documents prescribed under Clause 23 & 26 of Schedule-VII of DCS Rules, 2007. The provisions of Clause 23 & 26 of Schedule-VII of DCS Rules, 2007 is reproduced below:-

Clause - 23 :

"The co-operative housing society shall produce original records i.e. membership application, and register thereof affidavits, residence proof, committee resolutions, share certificate and payment details etc. for verification of record.

Clause - 26 :

After examining the office records and the proposals submitted by the co-operative housing society and documents and records of the co-operative housing society accompanying it, by the concerned Assistant Registrar a case of clearance of membership shall be referred to the committee constituted under rule 90 of the Act along with his appropriate recommendations".

2. The Secretary-cum-Registrar, Co-operative Societies referred the matter to Rule 90 Committee for allotment of 300 Sq. Yards plot to Shri Vikas Dhamija S/o Late Shri Hansraj Dhamija despite the fact that the Assistant Registrar and Additional Registrar had clearly pointed out that the relevant original documents were not shown to them as mandated under Clause-23 of Schedule-VII.

*****

PROCEEDINGS

1. As per the directions of the Hon'ble Speaker, the Questions and Reference Committee in its sittings held on 04.08.2021, 10.08.2021 and 17.08.2021 examined the issue and deliberated on the facts whether correct & proper reply was furnished by RCS in r/o Starred Question No.23 dated 30.07.2021.

2. A sitting notice No.Comm/Ques.Ref.Com/LAS/2020-25/398-422 dated 30.07.2021 was sent to the Registrar of Co-operative Societies (RCS), Additional Registrar, Present Assistant Registrar, Ex-Assistant Registrar, President/Vice President/Secretary, Miyanwali District CHBS Ltd. and Shri Vikas Dhamija to attend the sitting of the Committee on 04.08.2021 along with the original records in this regard.

3. During the proceedings of the Committee on 04.08.2021, Shri Vikas Dhamija in his deposition under oath stated that he is not in possession of Original Share Money receipt of membership, Original Share certificate of his father, Residence proof of original member and any other documents relating to his father Late Shri Hansraj Dhamija. Further, he had no acknowledgment from RCS office regarding submission of intimation regarding death of his father and applying for transfer of membership in his name. Shri Vikas Dhamija further stated that there is no relinquishment deed executed in his favour registered with the Sub-Registrar Office. Shri Vikas Dhamija also stated that they have two more properties which are of 100 Sq. Yards each at Moti Nagar in the name of his mother and his brother and he is residing with them since last 40-45 years.

4. At this stage, it is felt necessary to examine whether the transfer of membership of Late Shri Hans Raj Dhamija to his son Shri Vikas Dhamija has been made as per the provisions of Section 28 of DCS Act,2003 and Rule,20 of the DCS Rule,2007. The said provisions are reproduced below :-

Section 28

(1) On the death of a member, a co-operative society shall transfer the share or interest of the deceased member to the person nominated in accordance with the rules made in this behalf, or, if there is no person so nominated, to such person as may appear to the committee to be the heir or legal representative of the deceased member or pay to such nominee, heir or legal representative, as the case may be, a sum representing the value of such member:-

Provided that –

- *(i) such nominee, heir or legal representative, as the case may be, may require payment by the co-operative society of the value of the share or interest of the deceased member ascertained as aforesaid; or*
- *(ii) the co-operative society shall transfer the share or interest of the deceased member to such nominee, heir or legal representative, as the case may be, being qualified in accordance with the rules and bye-laws for membership of the cooperative society, or on his application within one hundred and eighty days of the death of the deceased member to any person specified in the application who is so qualified; and*
- *(iii) no such transfer or payment shall be made except with the consent of the nominee, heir or legal representative, as the case may be.*

Rule 20 of the DCS Rules,2007:-

Disqualification of membership

(1). No person shall be eligible for admission as a member of a co-operative society if he:-

(a) has applied to be adjudicated an insolvent or is an undischarged insolvent; or

(b) has been sentenced for any offence other than an offence of a political character or an offence not involving moral turpitude and dishonesty and a period of five years has not elapsed from the date of expiry of the sentence, or

(c) In the case of membership of a co-operative housing society,

(i) owns a residential house or a plot of land for construction of residential house in any of the approved or un-approved colonies or other localities in the National Capital Territory of Delhi, in his own name or in the name of his spouse or any of dependent children, on lease hold or free-hold basis or on power of attorney or on agreement for sale: Provided that above clause shall not be applicable,

(a) in case of co-sharers of property whose share is less than 66.72 sq. metres of land; or if the residential property devolves on him by way of inheritance;

(b) in case of a person who has acquired property on power of attorney or through agreement for sale and on conversion of the property from leasehold to freehold on execution of conveyance deed for it, if such person applies for the transfer of membership of the housing society concerned;

(ii) deals in purchase or sale of immovable properties either as principal or as agent in the National Capital Territory of Delhi; or

(iii) his spouse or any of his dependent children is a member of any other cooperative housing society.

Thus, the membership of Late Shri Hans Raj Dhamija was transferred to Shri Vikas Dhamija in violation of the above provisions of DCS Act,2003 and DCS Rules,2007.

5. The present Managing Committee comprising of the President, Vice-President and Secretary of Miayanwali District CHBS Ltd. in their deposition on oath stated that no record of membership of Late Shri Hansraj Dhamija are available with them. Therefore, they are not in a position to reply to the letters as being received by them from RCS in respect of Shri Vikas Dhamija. In this regard they had made communication with DDA and RCS. The Secretary of the Society further stated that the nominee of Late Shri Hansraj Dhamija was his

spouse who is still alive and it is not understood as to how the membership of Late Shri Hansraj Dhamija was transferred to Shri Vikas Dhamija when he was not the nominee. Further, they also informed that they have filed a court case regarding irregularities in the Miyanwali District CHBS Ltd.

6. Shri Tanuj Bhanot, Ex-Assistant Registrar, now posted as Assistant Director, Directorate of Vigilance in his deposition under oath stated that in terms of Clause-26 of Schedule-VII appended to DCS Rule,2007 he is legally bound to examine the correctness of the case as per the requirement of Clause-23 of Schedule VII. He stated that original records were never produced before him for examination and verification. He frequently asked the Society as well as Shri Vikas Dhamija to provide original records related to the membership of Late Shri Hansraj Dhamija for verification but they did not provide the same which was duly recorded by him in the file. He stated that the case does not fulfil the mandatory requirements of Clause 23 of Schedule VII and therefore, he had not made any recommendation regarding referring this case to Rule 90 Committee. He further stated that thereafter, on 22nd March, 2021 he was removed from the charge of the said society on the directions of the Secretary-Cum-Registrar. Further, he also informed that in the year 2018 Shri J.B.Singh, the then RCS had marked an enquiry to Shri Banwari Lal, Deputy Registrar in respect of the said Society. The Ex-Managing Committee was superseded u/s 37 of DCS Act, 2003 for mismanagement and various irregularities.

7. Shri Surender Narang, the present Assistant Registrar in his deposition on oath stated that he signed the file on 08.03.2021 as a Link Officer. Further, he stated that the management committee of the society had not produced any original documents before him as per Clause 23 of Schedule VII.

8. Shri Ranjeet Singh, Additional Registrar in his deposition on oath stated that in the relevant file at para 52 he had pointed out the shortcomings of the documents as required under Clause 23 of Schedule VII as no original documents were shown to him and the facts which are on record are correct and written/recorded by him. On being asked by the Committee as to why he had recorded to comply the directions of the Secretary-Cum-Registrar when there were no original documents, he informed that there were clear directions of the Secretary-Cum-Registrar to refer the matter to Rule 90 Committee for taking a decision.

9. Shri Devinder Singh, Secretary-cum-Registrar, Co-operative Societies in his deposition on oath stated that as specified under Clause 23 of Schedule VII of DCS Rule 2007, he had not seen the original documents. The Secretary-cum-Registrar, Co-operative Societies stated that verification report of documents comes from the Assistant Registrar and he has not recorded the same in the file. The Secretary-cum-Registrar, Co-operative Societies was apprised about giving wrong statement as the noting of Assistant Registrar and Additional Registrar regarding non submission of original record is already on the file/record which he had subsequently approved and recommended the case overlooking the deficiencies mentioned by the Assistant Registrar and Additional Registrar. The Secretary-cum-Registrar further stated that only photocopy of share certificate in the name of Shri Hansraj Dhamija was available and original share certificate was not available and has not been seen by him. The Committee apprised the Secretary-cum-Registrar, Co-operative Societies about the noting of the Assistant Registrar and Additional Registrar mentioning therein the shortcomings i.e. non production of the original documents as mandated under Schedule VII i.e. original application form of membership of Late Shri Hans Raj Dhamija,

original minutes of the Society in respect of Late Shri Hans Raj Dhamija, original application form in respect of claimant Shri Vikas Dhamija who had applied for transfer of membership, original membership register, original minutes of meeting in which transfer of membership was approved, whether the transfer of membership approved within stipulated time i.e. 180 days by the Managing Committee, if not reasons thereof and membership number allotted to Late Shri Hansraj Dhamija was 1102 but society issued new membership number to Shri Vikas Dhamija i.e.1168 after transferring the membership. On this the Secretary-cum-Registrar, Co-operative Societies replied that he had not seen these documents and is unable to state anything in this regard.

10. The Secretary-cum-Registrar, Co-operative Societies requested for grant of two weeks' time to submit his written submission. However, the committee granted one week time for the same i.e. on or before the next date of sitting of the Committee.

11. A sitting notice No.Comm/Ques.Ref.Com/LAS/2020-25/682-704 dated 05.08.2021 was sent to RCS, Ex-Office bearers of Miyanwali District CHBS Ltd. to attend the next sitting of the Committee on 10.08.2021 along with all files/records related to Miyanwali CHBS Ltd./related to supersession of Miyanwali District CHBS Ltd./ file related to enquiry conducted by the then Deputy Registrar as assigned by the then RCS Shri J.B.Singh and written submission in respect of Starred Question No.23 dated 30.07.2021. Further, the Secretary-cum-Registrar, Co-operative Societies was also informed to ensure the presence of the Members of the Rule 90 Committee i.e. the Deputy Secretary (Finance) and the Deputy Secretary (Law & Justice) in the sitting.

12. The Secretary-cum-Registrar, Co-operative Societies was not present on 10.08.2021 in the sitting of the Committee. An intimation regarding his being on leave on medical grounds was received from O/o the Registrar Co-operative Societies, GNCT of Delhi. Also Ex-Office bearers of the Miyanwali District CHBS Ltd. did not turn up to attend the sitting.

13. Shri Manoj Kumar, Deputy Secretary (Finance), Member Rule 90 Committee in his deposition on oath stated that he had not seen the original documents as specified in Clause 23 of Schedule VII. He stated that the Secretary-cum-Registrar, Co-operative Societies/Chairman of the Committee Rule, 90 assured him that all the original documents were available, seen by him and it is a fit case which is also recorded in the minutes of the Rule, 90 Committee meeting and based on the assurance given by the Secretary-cum-Registrar (Co-operative) in his capacity of Chairman of the Rule,90 Committee he signed the minutes.

14. Thereafter, Shri Manoj Kumar, Dy. Secretary (Finance)/Member Rule 90 Committee sent a communication dated 10.08.2021 to the Secretary-cum-Registrar, Co-operative Societies under intimation to OSD to the Chief Secretary, Delhi and the Hon'ble Committee informing that the recommendations/decisions of the Rule 90 committee held on 12.04.2021 may be reviewed by calling a meeting again as some facts came to his notice during the hearing on 10.08.2021 as the original documents were not checked by the Secretary-cum-Registrar Office in the case of Shri Vikas Dhamija at the time of convening of Rule 90 meeting.

15. Shri Ramesh Ram, Deputy Secretary (Law & Justice)/ Member Rule 90 Committee in his deposition on oath stated that in the matter of recommendation for allotment of 300 Sq. Yard plot to Shri Vikas Dhamija, the original documents as specified in Clause 23 of Schedule VII of DCS Rules, 2007 were not shown to him in the meeting of Rule 90 Committee. He also stated that the Secretary-cum-Registrar, Co-operative Societies /Chairman of Rule, 90 Committee had assured him that all original documents had been seen by him.

16. Thereafter, Shri Ramesh Ram, Dy. Secretary (Law & Justice)/Member Rule 90 Committee sent a communication dated 10.08.2021 to the Secretary-cum-Registrar, Co-operative Societies under intimation to OSD to the Chief Secretary, Delhi and the Hon'ble Committee informing that the recommendations/decisions of the Rule 90 committee held on 12.04.2021 may be reviewed by calling a meeting again as some facts came to his notice during the hearing on 10.08.2021 as the original documents were not checked by the Secretary-cum-Registrar Office in the case of Shri Vikas Dhamija at the time of convening of Rule 90 meeting.

17. A sitting notice No.Comm/Ques.Ref.Com/LAS /2020-25/1058-1059 dated 12.08.2021 was sent to the Office of the Secretary-cum-Registrar, Co-operative Societies, Ex-Office bearers of Miyanwali District CHBS Ltd. to attend the next sitting of the Committee on 17.08.2021 along with all files related to Miyanwali District CHBS Ltd./ related to supersession Miyanwali District CHBS Ltd./file related to enquiry conducted by the then Deputy Registrar as assigned by the then RCS Shri J.B.Singh and written submission in respect of Starred Question No.23 dated 30.07.2021.

18. During the proceedings on 17.08.2021, Shri Manish Chabra, Ex-Secretary of the Society deposed on oath that while working as Secretary of the Society he had approved the name of Shri Vikas Dhamija, recommended and forwarded it to the Office of the RCS. On being confronted that he had already made a complaint against Shri Hansraj Dhamija about his doubtful membership to the office of the RCS and already given his statement before a Judicial Court, he stated that he is not aware of any complaint/statement made by him to the RCS/Court. The Committee asked him, as to, whether he had mentioned all these details at the time of recommending the clearance of membership/allotment of plot of land to DDA in r/o Shri Vikas Dhamija. On this he was unable to give any justification in this regard. He also informed the Committee that at present he had no original records.

19. Shri Rajan Babu, Ex-President of the Society deposed on oath that he had seen the original payment detail and share certificate of Shri Hansraj Dhamija. No other original documents required under schedule VII has been seen by him. The Committee asked whether the name of nominee was there in the share certificate; in response he stated that as per share certificate the nominee of Shri Hansraj Dhamija was his wife.

20. In the sitting of the Committee held on 17.08.2021, the Secretary-cum- Registrar, Co-operative Societies was informed that the present society had intimated that they had no original records of Late Shri Hansraj Dhamija. The Secretary-cum-Registrar, Co-operative Societies informed that a team of Officers i.e. Additional Registrar, Assistant Registrar and Section Officer visited the Society but they were informed by the present Managing Committee that they had no original records and for which they were communicating to the Office of the Secretary-cum-Registrar, Co-operative Societies regularly.

OBSERVATIONS

1. The reply to Starred Question No.23 dated 30.07.2021 furnished by the Secretary-Cum-Registrar, Co-operative Societies contained that recommendation of allotment of plot was made as per the provisions of the Delhi Cooperative Societies Act, 2003 and the Delhi Cooperative Societies Rules, 2007. However, on the basis of the deposition of the Departmental Representatives, Office Bearers of the Society and the documents relied upon, it appears that there had been irregularities and violations in the recommendations to DDA for allotment of plot of 300 Sq. Yard. Hence, the House was provided with an incorrect and misleading reply to the Question.

2. As per Clause 23 of Schedule VII *"The Co-operative housing society shall produce original records i.e. membership application and register thereof affidavits, residence proof, committee resolutions, share certificate and payment details etc. for verification of records."*

However, during the course of proceedings and from the depositions of concerned officers of RCS and office bearers of the society it is revealed that the requisite original documents were neither seen by the Society nor by the Officers of the Department of Co-operative Societies.

3. Ex-bearers of the Mianwali District CHBS Ltd. have enclosed a copy of order dated 18.08.2021 in WP (C) 7239/2019 & CM Appl. 25095/2021 of Hon'ble High Court Delhi with representation dated 23.08.2021 and have requested that they may not be harassed in the matter. It is clarified that directions of the Hon'ble High Court are not being deliberated upon and the Questions & Reference Committee is examining the limited issue whether correct and proper reply was

furnished to Starred Questions No. 23. Still the Committee is of the view that Ex-office bearers of the Miyanwali District CHBS Ltd. have also misled the Committee by giving incorrect/false information during the proceedings of the Committee.

4. The Secretary-cum-Registrar, Co-operative Societies referred the matter to Rule 90 Committee for recommending the allotment of 300 Sq. Yard plot to Shri Vikas Dhamija S/o Late Shri Hansraj Dhamija in clear violation of DCS Act-2003, DCS Rules-2007 without production and verification of relevant original documents as prescribed under Schedule VII of DCS Act Rules, 2007 and despite the fact that the Assistant Registrar and Additional Registrar had clearly pointed out that original documents as prescribed under the Act and Rules were not shown to them. The Secretary-Cum-Registrar, Co-operative Societies pressurised his subordinate officers to convene the Rule 90 Committee meeting with the *malafide* intention of clearing the membership and recommending plot of land to DDA in respect of Shri Vikas Dhamija.

5. The Secretary-Cum-Registrar, Co-operative Societies acted hurriedly in clearing the membership of Shri Vikas Dhamija and convened the Rule 90 Committee meeting overlooking the fact that wherever there is a specific provision to be complied with under the DCS Act 2003 and DCS Rules 2007 and if that specific provision cannot be complied for whatever reason, the same requires to be placed before the Government for seeking its approval as per requirement under Section 127 of the DCS Act 2003 which provides

power to exempt the Cooperative Society from the provisions of the Act. The provision of section 127 is extracted herein below:-

> " *Government may, by general or special order, to be published in the official Gazette, exempt any co-operative society or class of cooperative societies from any of the provisions of this Act, or may direct that such provisions shall apply to such co-operative society or class of co-operative societies with such modification as may be specified in the order".*

6. The other members of the Rule 90 Committee i.e. Shri Manoj Kumar, Dy. Secretary (Finance) and Shri Ramesh Ram, Dy. Secretary (Law & Justice) admitted that they had not seen the original documents but were assured by the Secretary-Cum-Registrar, Co-operative Societies/Chairman of the committee that the documents were in order and all the requisite/ original documents have been seen. Now, both of them have informed the Committee that they had requested the Secretary-Cum-Registrar, Co-operative Societies to review the decision of the Committee for clearance of allotment of plot of land in favour of Shri Vikas Dhamija.

7. The Secretary-cum-Registrar, Co-operative Societies submitted his written submission dated 25.08.2021, received in this Secretariat on 27.08.2021 i.e. after the prescribed time limit and justified the recommendation of the name of Shri Vikas Dhamija by citing various rules and judgment. However, the main issue discussed in the proceedings of the Committee is regarding submission of incorrect reply of the Starred Question No.23 dated 30.07.2021 regarding grant of membership to Shri Vikas Dhamija in violation of DCS Act & Rules.

8. The present office bearers of Miyanwali District CHBS Ltd. produced original receipts regarding depositing the amount of Rs. 78,209/- vide receipt No.13229 dated 31.03.2000. However, the amount shown deposited in the bank on 22.12.1994 which shows clear violation of rules as the receipt was issued nearly about after six years of depositing of aforesaid amount which appears to be inconsistent.

*****

RECOMMENDATIONS

1. As is revealed from the documents and information provided by the Departmental Representatives as well as present and former office bearers of the Society, the reply to the Starred Question No.23 dated 30.07.2021 was incorrect and misleading which is a serious matter. Besides this, the entire procedure adopted by Shri Devinder Singh, Secretary-cum-Registrar (Co-operative Societies) appears to be in gross violation of the Delhi Cooperative Societies Act, 2003 and the Delhi Cooperative Societies Rules, 2007.

2. The Committee is of the view that the matter of providing incorrect and misleading information to the Legislative Assembly and to the Questions & Reference Committee by RCS Office/Ex-Office bearers of Miyanwali District CHBS Ltd. amounts to a breach of privilege and contempt which should be placed before the Committee of Privileges for further consideration.

3. The Questions & Reference Committee is also of the view that the conduct of Shri Devinder Singh, Secretary-cum-Registrar, Co-operative Societies in recommending the name of Shri Vikas Dhamija for allotment of the plot of land to DDA also needs to be enquired thoroughly and recommends that the Chief Secretary, Govt. of NCT of Delhi should conduct preliminary enquiry and place the report before the Government as Shri Devinder Singh, Secretary-Cum-Registrar, Co-operative Societies is due to retire on 30.11.2021. The preliminary enquiry on the misconduct of Shri Devinder Singh, Secretary-cum-Registrar, Co-operative Societies should *inter-alia* cover the following aspects:

(a) whether the Miyanwali District CHBS Ltd. complied with the provisions of section 28 of DCS Act 2003 in transferring the

membership to Shri Vikas Dhamija and whether he invited any disqualification under Rule 20 of DCS Rules 2007 and the negligence committed by the Secretary – cum - Registrar, Co-operative Societies in overlooking these aspects before recommending allotment of plot of land to DDA in favour of Shri Vikas Dhamija.

(b) whether in the absence of original documents as required under Clause 23 of Schedule-VII of DCS Rules 2007, the role of officers/officials of RCS office and the Secretary-cum-Registrar being the Chairman of the Rule 90 committee in ignoring the same and proceeding with clearance of membership and recommendation in favour of Shri Vikas Dhamija.

(c) Whether the concerned Assistant Registrar complied with the provisions of Clause 26 of Schedule VII of DCS Rules 2007 or there was any negligence on his part.

(d) Whether it could have not been possible for the Secretary-cum-Registrar, Co-operative Societies to comply with certain provisions of the DCS Act 2003 and DCS rules 2007 for the reasons beyond his control, then whether the approval of the Government as required under section 127 of DCS Act 2003 was sought by the Secretary-cum-Registrar, Co-operative Societies.

(e) Whether the Members of the Rule 90 committee discharged their statutory duties imposed on them under the provisions of DCS Act and Rules in clearing the name of Shri Vikas Dhamija and recommending to DDA for allotment of plot of land of size 300 square yards.

(f) Any other issues as deemed appropriate in light of the facts and circumstances of the case.

4. The Questions & Reference Committee is also of the view that the report of the Committee be also sent to the Hon'ble Lieutenant Governor, Delhi for his information and further necessary action.

Date: 09.09.2021

(Rakhi Birla)
Chairperson
Questions & Reference Committee

Annexure - 'A'

29

कार्यालय, पंजीयक, सहकारी समितियां

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

पुरानी कचहरी परिसर, संसद मार्ग, नई दिल्ली

तारांकित प्रश्न संख्या : **23**

दिनांक: : **30/07/2021**

प्रश्नकर्ता का नाम : **श्री सौरभ भारद्वाज**

क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :

प्रश्न	**उत्तर**
क. क्या विभाग को मियांवाली हाउस बिल्डिंग सोसायटी में अनियमितताओं की कोई शिकायत प्राप्त हुई है।	क) जी हाँ,
ख. क्या यह सत्य है कि एक व्यक्ति को दिल्ली सहकारी समिति नियम, 2007 का उल्लंघन करते हुए इसकी सदस्यता प्रदान की गई थी। ग. क्या यह सदस्यता मूल दस्तावेजों की मांग किए बिना प्रदान की गई थी, जबकि नियमों के ऐसा नियत है।	(ख व ग) सदस्यता सोसायटी की मैनेजिंग कमेटी द्वारा प्रदान की जाती है। दिल्ली सहकारी समिति नियमावली, 2007 के प्रावधानों का पालन किए बिना सदस्यता दिए गए व्यक्ति का ब्यौरा नहीं दिया गया है। प्रश्न के घ भाग से प्रतीत होता है कि यह प्रश्न श्री विकास धमीजा से सम्बंधित है। इसका विवरण प्रश्न घ भाग में विस्तार से किया है।
घ. दिल्ली सहकारी समिति अधिनियम के प्रावधानों और नियमावली का पालन किए	घ. 1) सोसायटी की मैनेजिंग कमेटी ने **22-05-2018** को एक प्रस्ताव पेश किया था कि स्वर्गीय श्री हंस राज धमीजा वर्ष **1966** से मेम्बरशिप नंबर **1102** के साथ

देविन्द्र सिंह

बिना इस व्यक्ति के लिए डीडीए को 300 वर्ग गज के भूखंड आवंटित किए जाने की संस्तुति किए जाने के क्या कारण है।	**632** सदस्यों की मूल फ्रीज सूची के सदस्य थे और इस तथ्य को माननीय उच्च न्यायालय के डब्ल्यूपीसी संख्या **5580/1993**, केस मुलख राज चावला **v/s** आरसीएस के दिनांक **30.10.1995** के आदेश के तहत आर.सी. एस द्वारा नियुकत इलेकशन अफ़सर कम चेयरपरसन कम अबसरवर, श्री आर.सी. रिछारिया ने दिनाकं 11.04.1996 को स्वीकार किया था। इस तरह स्वर्गीय श्री हंस राज धमीजा एक वैध रूप से नामांकित फ्रीज सूची के सदस्य थे. 2. मियांवली डिस्ट्रिक्ट सीएचबीस लिमिटेड की मैनेजिंग कमेटी ने **22.05.2018** को मंजूरी के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए प्रमाणित किया था कि स्वर्गीय श्री हंस राज धमीजा फ्रीज सूची के सदस्य थे और उनकी मृत्यु पर आवश्यक औपचारिकताओं का पालन करने के बाद, स्वर्गीय श्री हंस राज धमीजा की सदस्यता **30.12.2017** को उनके असली बेटे श्री विकास धमीजा को स्थानांतरित कर दी गई थी। 3. सोसायटी की मैनेजिंग कमेटी ने प्रस्ताव के साथ निम्नलिखित दस्तावेज उपलब्ध कराए थे:- (i) सोसायटी के उपाध्यक्ष और सचिव द्वारा हस्ताक्षरित फॉर्म डी (अनुसूची VII के खंड 16 में संदर्भित) पर हलफनामा। (ii) सोसायटी के उपाध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित फॉर्म जी में हलफनामा। (iii) श्री विकास धमीजा द्वारा हस्ताक्षरित फॉर्म सी (अनुसूची VII के खंड 13 में संदर्भित) पर हलफनामा। (iv) गृह मंत्रालय में श्री रविंदर नाथ पीएस के आई कार्ड की प्रति के साथ श्री विकास धमीजा के फॉर्म एफ पर सत्यापन प्रमाण पत्र।

देविन्द्र सिंह

	(v) पैन कार्ड की प्रति (vi) आधार कार्ड (vii) वित्तीय आयुक्त के आदेश दिनांक 28.10.1994. सोसाइटी ने प्रस्ताव पर आपातियाँ आमंत्रित करने के लिए विज्ञापन दो प्रमुख समाचार पत्रों स्टेट्समैन (अंग्रेजी) और राष्ट्रीय सहारा (हिंदी) में प्रकाशित किया. सोसाइटी ने जानकारी दी कि इस प्रस्ताव पर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई थी। उपर्युक्त के अतिरिक्त सदस्य श्री विकास धमीजा ने अपने पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज भी प्रस्तुत किए हैं जिनका विधिवत सत्यापन किया गया।. (i) स्वर्गीय श्री हंस राज धमीजा के नाम पर शेयर प्रमाण पत्र की विधिवत हस्ताक्षरित प्रति। (ii) स्वर्गीय श्री हंस राज धमीजा के नाम पर राशन कार्ड की विधिवत हस्ताक्षरित प्रति। (iii) मियांवाली जिला सीएचबीएस द्वारा जारी भुगतान रसीद की विधिवत हस्ताक्षरित प्रति। (iv) स्वर्गीय श्री हंस राज धमीजा की सदस्यता के लिए आवेदन की विधिवत हस्ताक्षरित प्रति। (v) वित्तीय आयुक्त के आदेश दिनांक 28.10.1994 की विधिवत हस्ताक्षरित प्रति (vi) 78209/- रुपये की रसीद संख्या 13229 की विधिवत हस्ताक्षरित प्रति (vii) सोसायटी के स्वर्गीय श्री हंस राज धमीजा के व्यक्तिगत खाते की विधिवत हस्ताक्षरित प्रति। (viii) श्री विकास धमीजा के संबंध में सदस्यता रजिस्टर के प्रासंगिक पृष्ठ की विधिवत हस्ताक्षरित प्रति।

देविन्द्र सिंह

	(ix) सी.वी.सी के परिपत्र संख्या 40/11/06 की विधिवत हस्ताक्षरित प्रति। 4. श्री विकास धमीजा के बारे में सोसायटी की मैनेजिंग कमेटी ने प्रमाणित किया था कि मैनेजिंग कमेटी ने 30.12.2017 को हुई अपनी बैठक में संबंधित अभिलेखों की जांच की है और खुद को संतुष्ट किया हे कि यह सदस्य दिल्ली सहकारी समिति अधिनियम, 2003, दिल्ली सहकारी समिति नियम 2007, व पंजीकृत उप-नियमों के तहत वैध सदस्यता की आवश्यकता को पूरा करने वाले सदस्य है। .5इस तथ्य के बावजूद, कि सोसायटी की मैनेजिंग कमेटी ने **22.05.2018** को प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, श्री विकास धमीजा पुत्र स्वर्गीय श्री हंस राज धमीजा को आरसीएस द्वारा अपनी सदस्यता को स्वीकृत करने में देरी के कारण दिल्ली के माननीय उच्च न्यायालय में डब्ल्यूपीसी संख्या **7239/2019** के तहत रिट दायर करनी पड़ी थी। माननीय उच्च न्यायालय ने **09.07.2019** को निर्देश दिए थे कि "याचिकाकर्ता की शिकायत यह है कि सहकारी समिति के रजिस्ट्रार ने अभी तक आवंटन के लिए याचिकाकर्ता के नाम की मंजूरी पर निर्णय नहीं लिया है। उत्तरदाताओं को उक्त देरी के कारणों का खुलासा करने का निर्देश दिया जाता है । अगली तारीख से पहले मूल रिकॉर्ड उपलब्ध रखा जाएगा। जवाब, यदि कोई हो, छह सप्ताह के भीतर दायर किया जाए । इस रिट में सोसायटी की मैनेजिंग कमेटी पहले ही हलफनामा दाखिल कर चुकी है कि उन्होंने श्री विकास धमीजा के मामले की सिफारिश की है।

देविन्द्र सिंह

6. इसी तरह के एक अन्य मामले में एक फ्रीज सूची सदस्य सुश्री मंजू बत्रा द्वारा डब्ल्यूपीसी नंबर **12537/2004** दायर की गई । माननीय उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में उल्लेख किया है कि "सोसायटी पहले ही याचिकाकर्ता के नाम को मंजूरी दे चुकी है और नाम उस अध्यक्ष द्वारा भेजा गया था जिसे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा डब्ल्यूपीसी नंबर **5580/1993** में पारित आदेश के तहत नियुक्त किया गया था, जिसका शीर्षक है मुलख राज चावला **v/s** रजिस्ट्रार और एक अन्य, याचिकाकर्ता का नाम **30** अक्टूबर **1995** के आदेश के तहत मंजूरी दे दी गई है कि वह भी उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त किए गए व्यक्ति द्वारा, हमें कोई कारण नहीं दिखता कि रजिस्ट्रार को-ऑपरेटिव सोसायटी पिछले **10** वर्षों से उसका नाम स्वीकृत न कर के याचिकाकर्ता को परेशान क्यों कर रही है। इन परिस्थितियों में, हम रजिस्ट्रार, सहकारी समिति पर रु**25000 /-** की कॉस्ट लगाकर इस याचिका की अनुमति देते हैं, जो कि **15** दिनों के भीतर जिम्मेदारी तय करने के बाद इस तरह की अत्यधिक देरी के लिए जिम्मेदार अधिकारी से वसूल किया जाना चाहिए ।

7. इसी तरह के प्रतिकूल आदेशों से बचने के लिए, श्री विकास धमीजा के मामले में नियम 90 के तहत सांविधिक समिति, जिसमे सचिव (सहयोग)(अध्यक्ष), अपर आरसीएस, उप सचिव (वित्त) और उप सचिव (कानून) सदस्य थे, के द्वारा दिनांक **16.04.2021** को हुई बैठक में, मियांवाली डीएचबीएस लिमिटेड की मैनेजिंग कमेटी की विशिष्ट सिफारिशों को उचित जांच के बाद सही पाया गया और विभिन्न स्तरों पर आरसीएस कार्यालय में अधिकारीयों द्वारा जाँच और

	सभी प्रासंगिक तथ्यों पर विचार करने के बाद अनुमोदित किया गया। 8. यह सिफारिश इसलिए की गई है क्योंकि यह सदस्यता दिल्ली सहकारी समिति अधिनियम, 2003, दिल्ली सहकारी समिति नियम 2007, व सोसाइटी के पंजीकृत उप-नियमों के अनुसार उचित है।
ड.) क्या यह भी सत्य है कि सहायक पंजीयक व अतिरिक्त पंजीयक ने इस व्यक्ति को सदस्यता दिए जाने का विरोध किया था ।	सदस्यता के सत्यापन के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त होने पर आरसीएस कार्यालय में प्रशासनिक पदानुक्रम के विभिन्न स्तरों के अधिकारी छानबीन करते हैं और अपने विचार प्रस्तुत करते हैं, लेकिन यदि मांगी जा रही जानकारी अभिलेखों में पहले से ही उपलब्ध है, तो अगला उच्च अधिकारी हमेशा एक अलग दृष्टिकोण अपना सकता है और इस मामले में अंतिम दृष्टिकोण को नियम **90** के तहत सांविधिक समिति द्वारा अनुमोदित किया गया।
च) सहायक पंजीयक द्वारा की गई आपत्तियों का विवरण तथा जिस प्रकार इन आपत्तियों का निराकरण किया गया उसका विवरण दें; और	सहायक पंजीयक ने बस इतना कहा था कि सोसायटी ने अनुसूची सातवीं के अनुसार उनके समक्ष मूल अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए हैं। सोसायटी की मैनेजिंग कमेटी की सिफारिश, विशेष रूप से यह तथ्य कि स्वर्गीय श्री हंसराज धमीजा फ्रीज सूची के सदस्य थे, पर विधिवत विचार किया गया है और सदस्य को जारी सोसायटी के उपलब्ध मूल अभिलेखों का सदस्य के माध्यम से विभाग के अधिकारियों द्वारा विधिवत सत्यापन किया गया । आपत्तियां मान्य नहीं पाई गईं और नियम **90** सांविधिक समिति ने सोसाइटी की सिफारिश को उचित माना, विशेष रूप से यह तथ्य कि मूल सदस्य एक फ्रीज सूची सदस्य था जिसकी सदस्यता उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद उनके वास्तविक बेटे श्री विकास धमीजा के पक्ष में

देविन्द्र सिंह

	स्थानांतरित कर दी गई थी और सोसाइटी की मैनेजिंग कमेटी द्वारा दिनांक **30.12.2017** का प्रस्ताव पारित किया गया था। सोसायटी द्वारा सदस्य को जारी किए गए रिकॉर्ड की पुष्टि की गई और मामले में आगे की कार्रवाई के लिए डीडीए को सिफारिश की गई ।
छ) क्या यह भी सत्य है कि इस घटना के बाद सहायक रजिस्ट्रार को उसके सभी दायित्वों से मुक्त कर दिया गया था?	संबंधित सहायक रजिस्ट्रार 25.04.2021 को होने वाले गुरुद्वारा चुनाव में 02 विधान सभा क्षेत्र के लिए रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में प्रतिनियुक्त किया गया था और बाद में उन्हें कोविड ड्यूटी पर तैनात कर दिया गया था । न्यायालय की अवमानना के विभिन्न मामले लंबित होने के कारण अनुभाग/शाखा के सुचारू संचालन के लिए एक अन्य सहायक रजिस्ट्रार को इसका प्रभार दिया गया था । आगे संबधित सहायक रजिस्ट्रार को सेवा विभाग के आदेश संख्या 311 दिनांक 12.07.2021 के तहत स्थानांतरित किया गया था, जिसमें कहा गया कि अधिकारी सहकारिता विभाग से किसी भी आदेश की प्रतीक्षा किए बिना कार्यमुक्त रहेंगे।

देविन्दर सिंह
विभागाध्यक्ष

DEVINDER SINGH, IAS
Secretary (Co-op)-cum-Registrar (Co-op Societies)
Govt. of N.C.T. of Delhi.
Old Court Building,
Parliament Street, New Delhi-110001

विधान सभा

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली

प्रश्न एवं संदर्भ समिति

सातवीं विधानसभा का प्रथम प्रतिवेदन

विषय : सहकारी समितियाँ विभाग, रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार से संबंधित तारांकित प्रश्न संख्या 23 दिनांक 30.7.2021 के संबंध में जाँच रिपोर्ट

दिनांक 26 नवंबर, 2021 को प्रस्तुत

दिनांक 26 नवंबर, 2021 को अंगीकृत

विधान सभा, पुराना सचिवालय, दिल्ली–110 054

विषय सूची

परिचय 01

पृष्ठभूमि 02

कार्यवाही 03

टिप्पणियॉं 09

संस्तुतियाँ 11

विधान सभा

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

प्रश्न एवं संदर्भ समिति

विषय : सहकारी समितियाँ विभाग, रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार से संबंधित तारांकित प्रश्न संख्या 23 दिनांक 30.7.2021 के उत्तर के संबंध में जाँच रिपोर्ट।

परिचय

1. सदन में दिनांक 30.07.2021 की कार्यवाही में माननीय सदस्य श्री सौरभ भारद्वाज ने सहकारी समितियाँ विभाग से संबंधित एक तारांकित प्रश्न संख्या 23 उठाया था। माननीय मंत्री श्री राजेंद्र पाल गौतम ने इस प्रश्न का विस्तार के साथ उत्तर दिया। हालाँकि श्री सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि यह उत्तर गलत और भ्रामक है। माननीय अध्यक्ष महोदय ने निर्देश दिया कि आरसीएस (पंजीयक सहकारी समितियाँ) के उत्तर को प्रश्न एवं संदर्भ समिति में भेजा जाए, जो एक महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट देगी। प्रश्न और विभाग द्वारा प्रस्तुत लिखित उत्तर अनुलग्नक–ए में दिया गया है।
2. प्रश्न मियाँवाली डिस्ट्रिक्ट सीएचबीएस लिमिटेड में अनियमितताओं तथा श्री विकास धमीजा को डीसीएस नियमावली, 2007 की VII अनुसूची के खंड 23 के अंतर्गत निर्धारित अपेक्षित मूल दस्तावेजों को बिना जमा कराए/जाँच किए सदस्यता प्रदान करने व उनका नाम 300 वर्ग गज के भूखंड के आवंटन हेतु दि.वि.प्रा. को संस्तुत किए जाने के संबंध में पूछा गया था।
3. समिति ने दिनांक 04.08.2021, 10.08.21 व 17.08.2021 को हुई अपनी बैठकों में पंजीयक सहकारी समितियाँ विभाग के उपस्थित अधिकारियों और मियाँवाली डिस्ट्रिक्ट सीएचबीएस लिमिटेड के पूर्व पदाधिकारियों तथा नियम 90 कमेटी के सदस्यों से चर्चा की और इस मुद्दे की जाँच की।
4. उक्त विषय पर समिति के टिप्पणियों/संस्तुतियों को इस रिपोर्ट में सम्मिलित किया गया है।
5. समिति की दिनांक 09.09.2021 को हुई बैठक में इस रिपोर्ट को अंगीकृत किया गया। श्री सौरभ भारद्वाज ने सभापति की अनुमति से स्वयं को इस बैठक से अलग कर लिया।

*****

पृष्ठभूमि

1. यह विषय मियाँवाली डिस्ट्रिक्ट सीएचबीएस लिमिटेड में अनियमितताओं तथा श्री विकास धमीजा को डीसीएस नियमावली, 2007 की अनुसूची VII के खंड 23 और 26 में निर्धारित उपयुक्त मूल दस्तावेजों को प्रस्तुत किए बिना सदस्यता प्रदान किए जाने और दिल्ली विकास प्राधिकरण में 300 वर्गगज के भूखंड हेतु उनका नाम प्रस्तावित किए जाने के संबंध में विधानसभा के माननीय सदस्य श्री सौरभ भारद्वाज द्वारा उठाए गए तारांकित प्रश्न संख्या 23 दिनांक 30.07.2021 से संबंधित है। अनुसूची VII के खंड 23 और 26 के प्रावधानों को नीचे पुनर्प्रस्तुत किया जा रहा है:—

Clause - 23 :

"*The co-operative housing society shall produce original records i.e. membership application, and register thereof affidavits, residence proof, committee resolutions, share certificate and payment details etc. for verification of record.*

Clause - 26 :

"After examining the office records and the proposals submitted by the co-operative housing society and documents and records of the co-operative housing society accompanying it, by the concerned Assistant Registrar a case of clearance of membership shall be referred to the committee constituted under rule 90 of the Act along with his appropriate recommendations".

2. सचिव—एवं—पंजीयक, सहकारी समितियाँ ने, बावजूद इस तथ्य के कि सहायक पंजीयक और अतिरिक्त पंजीयक ने स्पष्ट रूप से बताया था कि अनुसूची VII के खंड 23 के अनुसार अनिवार्य मूल दस्तावेज उन्हें नहीं दिखाए गए, नियम 90 कमेटी के पास श्री विकास धमीजा पुत्र स्वर्गीय श्री हंसराज धमीजा को 300 वर्गगज भूखंड के आवंटन का यह प्रकरण भेज दिया।

*****

<u>कार्यवाही</u>

1. माननीय अध्यक्ष महोदय के निर्देशों के अनुसार प्रश्न एवं संदर्भ समिति ने अपनी दिनांक 04.08.2021, 10.08.2021 और 17.08.2021 को हुई बैठकों में इस मुद्दे की जाँच की और इन तथ्यों पर विचार किया कि तारांकित प्रश्न संख्या 23 दिनांक 30.07.2021 के संदर्भ में आरसीएस (पंजीयक सहकारी समितियाँ) द्वारा दिया गया उत्तर सही और उपयुक्त था या नहीं?

2. बैठक का एक नोटिस संख्या No.Comm/Ques.Ref.Com/LAS/2020-25/398-422 दिनांक 30.07.2021 पंजीयक सहकारी समितियाँ, अतिरिक्त पंजीयक, वर्तमान सहायक पंजीयक, पूर्व सहायक पंजीयक को, मियाँवाली डिस्ट्रिक्ट सीएचबीएस लिमिटेड के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सचिव को तथा श्री विकास धमीजा को दिनांक 04.08.2021 को होने वाली समिति की बैठक में एतद्संबंधी मूल अभिलेखों के साथ उपस्थित होने के लिए भेजा गया।

3. दिनांक 04.08.2021 को होने वाली बैठक के दौरान श्री विकास धमीजा ने अपने शपथबद्ध बयान में कहा कि उनके पास सदस्यता की शेयर राशि की मूल रसीद, अपने पिता का मूल शेयर सर्टिफिकेट, मूल सदस्य का आवासीय प्रमाण तथा अपने पिता श्री हंसराज धमीजा से संबंधित कोई भी अन्य दस्तावेज नहीं है। इसके अतिरिक्त उनके पास आरसीएस कार्यालय से प्राप्त अपने पिता की मृत्यु और उनकी सदस्यता को अपने नाम स्थानांतरित किए जाने संबंधी सूचना की कोई पावती भी नहीं है। श्री विकास धमीजा ने आगे यह भी कहा कि उप–पंजीयक कार्यालय में उनके पक्ष में पंजीकृत कोई 'रेलिंक्विशमेंट डीड' (त्याग–विलेख) भी नहीं है। श्री विकास धमीजा ने यह भी कहा कि उनके पास मोती नगर में सौ–सौ वर्ग गज की दो और संपत्तियाँ भी हैं जो उनके माँ और भाई के नाम पर हैं और वह उनके साथ विगत 40–45 वर्ष से रह रहा है।

4. यहाँ पर इस बात की जाँच करना आवश्यक समझा गया कि क्या स्वर्गीय श्री हंस राज धमीजा की सदस्यता को डीसीएस अधिनियम 2003 की धारा 28 तथा डीसीएस नियमावली, 2007 के नियम 20 के प्रावधानों के अनुरूप उनके पुत्र श्री विकास धमीजा के नाम पर स्थानांतरित किया गया था, या नहीं। संबंधित प्रावधानों को नीचे पुनर्प्रस्तुत किया जाता है :–

<u>Section 28</u>

(1) On the death of a member, a co-operative society shall transfer the share or interest of the deceased member to the person nominated in accordance with the rules made in this behalf, or, if there is no person so nominated, to such person as may appear to the committee to be the heir or legal representative of the deceased member or pay to such nominee, heir or legal representative, as the case may be, a sum representing the value of such member:-
Provided that –

(i) *such nominee, heir or legal representative, as the case may be, may require payment by the co-operative society of the value of the share or interest of the deceased member ascertained as aforesaid; or*

(ii) *the co-operative society shall transfer the share or interest of the deceased member to such nominee, heir or legal representative, as the case may be, being qualified in accordance with the rules and bye-laws for membership of the cooperative society, or on his application within one hundred and eighty days of the death of the deceased member to any person specified in the application who is so qualified; and*

(iii) *no such transfer or payment shall be made except with the consent of the nominee, heir or legal representative, as the case may be.*

डीसीएस नियमावली, 2007 का नियम 20

सदस्यता हेतु अनर्हता

(1). No person shall be eligible for admission as a member of a co-operative society if he:-

(a) has applied to be adjudicated an insolvent or is an undischarged insolvent; or

(b) has been sentenced for any offence other than an offence of a political character or an offence not involving moral turpitude and dishonesty and a period of five years has not elapsed from the date of expiry of the sentence, or

(c) In the case of membership of a co-operative housing society,

(i) owns a residential house or a plot of land for construction of residential house in any of the approved or un-approved colonies or other localities in the National Capital Territory of Delhi, in his own name or in the name of his spouse or any of dependent children, on lease hold or free-hold basis or on power of attorney or on agreement for sale: Provided that above clause shall not be applicable,

(a) in case of co-sharers of property whose share is less than 66.72 sq. metres of land; or if the residential property devolves on him by way of inheritance;

(b) in case of a person who has acquired property on power of attorney or through agreement for sale and on conversion of the property from leasehold to freehold on execution of conveyance deed for it, if such person applies for the transfer of membership of the housing society concerned;

(ii) deals in purchase or sale of immovable properties either as principal or as agent in the National Capital Territory of Delhi; or

(iii) his spouse or any of his dependent children is a member of any other cooperative housing society.

अतः स्वर्गीय श्री हंस राज धमीजा की सदस्यता श्री विकास धमीजा को स्थानांतरित करने में डीसीएस अधिनियम, 2003 और डीसीएस नियमावली, 2007 का उल्लंघन हुआ है।

5. मियाँवाली डिस्ट्रिक्ट सीएचबीएस लिमिटेड की वर्तमान प्रबंध समिति, जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सचिव हैं, ने अपने शपथबद्ध बयान में यह बताया है कि उनके पास स्वर्गीय श्री हंसराज धमीजा की सदस्यता का कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं है। अतः वे आरसीएस से श्री विकास धमीजा के बारे में प्राप्त होने वाले पत्रों का उत्तर देने की स्थिति में नहीं हैं। इस संबंध में उन्होंने दिविप्रा और आरसीएस के साथ पत्राचार भी किया है। समिति के सचिव ने यह भी बताया कि स्वर्गीय श्री हंसराज धमीजा का नामांकित व्यक्ति उसका जीवनसाथी (पत्नी) था, जो अभी भी जीवित है और यह समझ से परे है कि स्वर्गीय श्री हंसराज धमीजा की सदस्यता श्री विकास धमीजा को कैसे स्थानांतरित कर दी गई, जबकि वह नामांकित व्यक्ति नहीं थे। उन्होंने यह भी बताया कि मियाँवाली डिस्ट्रिक्ट सीएचबीएस लिमिटेड में अनियमितताओं के संबंध में उन्होंने ने न्यायालय में वाद भी दाखिल किया है।

6. पूर्व सहायक पंजीयक श्री तनुज भनोट ने, जो अब सतर्कता निदेशालय में सहायक निदेशक के रूप में नियुक्त हैं, अपने शपथबद्ध बयान में कहा है कि डीसीएस नियमावली, 2007 के साथ संलग्न अनुसूची VII के खंड 26 के अनुसार वे अनुसूची VII के खंड 23 की अपेक्षाओं के अनुरूप इस मामले के औचित्य की जाँच करने के लिए बाध्य हैं। उन्होंने बताया कि उनके सामने जाँच एवं सत्यापन के लिए मूल अभिलेख कभी प्रस्तुत नहीं किए गए थे। उन्होंने बार–बार समिति से तथा श्री विकास धमीजा से स्वर्गीय श्री हंसराज धमीजा की सदस्यता से संबंधित मूल अभिलख सत्यापन हेतु प्रस्तुत करने के लिए कहा, परंतु उनकी ओर से ये अभिलेख नहीं दिए गए जिसका विधिवत उल्लेख उन्होंने फाइल में भी किया है। उन्होंने कहा कि यह प्रकरण अनुसूची VII के खंड 23 की अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है और इसलिए उन्होंने इस प्रकरण को नियम 90 समिति को भेजे जाने हेतु कोई संस्तुति नहीं की थी। उन्होंने यह भी कहा कि बाद में सचिव–एवं–पंजीयक के निर्देश पर उन्हें दिनांक 22 मार्च, 2021 को उक्त सोसायटी के उत्तरदायित्व से हटा दिया गया। उन्होंने यह भी सूचित किया कि वर्ष 2018 में तत्कालीन आरसीएस श्री जे.बी. सिंह ने श्री बनवारी लाल, उप पंजीयक को उक्त सोसायटी के संबंध एक जाँच का निर्देश दिया था। पूर्व प्रबंध समिति को डीसीएस अधिनियम, 2003 की धारा 37 के अंतर्गत कुप्रबंधन और विभिन्न अनियमितताओं के कारण हटा दिया गया था।

7. वर्तमान सहायक पंजीयक श्री सुरेंदर नारंग ने अपने शपथबद्ध बयान में कहा कि उन्होंने फाइल पर दिनांक 08.03.2021 को लिंक ऑफिसर के रूप में हस्ताक्षर किए थे। साथ ही, उन्होंने कहा कि संस्था की प्रबंध समिति ने अनुसूची VII के खंड 23 के अनुसार कोई मूल दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए थे।

8. अतिरिक्त पंजीयक श्री रनजीत सिंह ने अपने शपथबद्ध बयान में कहा कि संबंधित फाइल में पैरा 52 में उन्होंने अनुसूची VII के खंड 23 के अंतर्गत आवश्यक दस्तावेजों के संबंध में कमियों का उल्लेख किया था क्योंकि उन्हें कोई मूल दस्तावेज नहीं दिखाए गए थे और अभिलेख में दर्ज तथ्य सही हैं और उनके द्वारा ही लिखे/दर्ज किए गए हैं। जब उनसे यह पूछा गया कि उन्होंने सचिव–एवं–पंजीयक के निर्देशों का अनुपालन क्यों दर्ज किया, जबकि कोई मूल दस्तावेज

उपलब्ध नहीं थे, तो उन्होंने सूचित किया कि सचिव–एवं–पंजीयक के स्पष्ट निर्देश थे कि इस मामले को निर्णय लेने के लिए नियम 90 कमेटी को भेज दिया जाए।

9. सचिव–एवं–पंजीयक, सहकारी समितियाँ, श्री देविंदर सिंह ने अपने शपथबद्ध बयान में बताया कि डीसीएस नियमावली, 2007 की अनुसूची VII के खंड 23 के अंतर्गत निर्दिष्ट किए गए के अनुसार उन्होंने मूल दस्तावेजों का अवलोकन नहीं किया। सचिव–एवं–पंजीयक, सहकारी समितियाँ ने बताया कि दस्तावेजों की सत्यापन रिपोर्ट सहायक पंजीयक की ओर से आती है और उसने फाइल में इसे दर्ज नहीं किया। सचिव–एवं–पंजीयक, सहकारी समितियाँ को उनके गलत बयान के बारे में बताया गया क्योंकि सहायक पंजीयक और अतिरिक्त पंजीयक की मूल दस्तावेज न जमा किए जाने के बारे में नोटिंग फाइल/अभिलेख पर पहले ही से उपलब्ध है और उन्होंने सहायक पंजीयक तथा अतिरिक्त पंजीयक द्वारा उल्लिखित कमियों को नज़रअंदाज़ करते हुए इस मामले को स्वीकृत एवं संस्तुत कर दिया। सचिव–एवं–पंजीयक ने यह भी बताया कि श्री हंसराज धमीजा के नाम के शेयर सर्टिफिकेट की केवल फोटोकॉपी ही उपलब्ध थी और मूल शेयर सर्टिफिकेट न उपलब्ध था और नही उन्होंने उसे देखा था। समिति ने सचिव–एवं–पंजीयक को सहायक पंजीयक और अतिरिक्त पंजीयक की नोटिंग के बारे में बताया गया जिसमें इस मामले की कमियाँ, अर्थात अनुसूची VII में अनिवार्य मूल दस्तावेजों अर्थात स्वर्गीय श्री हंस राज धमीजा का मूल सदस्यता आवेदन–प्रपत्र, स्वर्गीय श्री हंस राज धमीजा के संबंध में सोसाइटी की मूल मिनिट्स, दावेदार श्री विकास धमीजा के संबंध में उनका मूल सदस्यता आवेदन–प्रपत्र, जिन्होंने सदस्यता के स्थानांतरण के बारे में आवेदन किया था, मूल सदस्यता रजिस्टर, जिस बैठक में सदस्यता स्थानांतरण को स्वीकृत किया गया उसके मूल मिनिट्स को प्रस्तुत न करना तथा क्या सदस्यता का स्थानांतरण प्रबंध समिति द्वारा नियत समय अर्थात 180 दिन में किया गया और यदि नही ंतो उसके क्या कारण रहे, तथा स्वर्गीय श्री हंसराज धमीजा को सदस्यता संख्या 1102 प्रदान की गई थी, परंतु सोसायटी ने श्री विकास धमीजा को नई सदस्यता संख्या, 1168 प्रदान की। इस पर सचिव–एवं–पंजीयक, सहकारी समितयाँ ने उत्तर दिया कि उन्होंने इन दस्तावेजों को नहीं देखा है और इस बारे में वे कुछ भी कहने में असमर्थ हैं।

10. सचिव–एवं–पंजीयक, सहकारी समितियाँ, ने अपना लिखित जवाब देने के लिए दो सप्ताह का समय दिए जाने का अनुरोध किया। हालाँकि समिति उन्हें इसके लिए एक सप्ताह का समय दिया, अर्थात समिति की अगली बैठक वाले दिन अथवा उससे पहले।

11. आरसीएस तथा मियाँवाली डिस्ट्रिक्ट सीएचबीएस लिमिटेड के पूर्व पदाधिकारियों को बैठक का एक नोटिस संख्या No.Comm/Ques.Ref.Com/LAS/2020-25/682-704 दिनांक 05.08.2021 भेजा गया जिसमें उनसे मियाँवाली सीएचबीएस लिमिटेड से संबंधित सभी फाइलें/अभिलेख जो मियाँवाली डिस्ट्रिक्ट सीएचबीएस लिमिटेड के अधिक्रमण से संबंधित हों, तत्कालीन आरसीएस श्री जे.बी. सिंह द्वारा निर्दिष्ट जाँच जो तत्कालीन उप पंजीयक ने की थी, से संबंधित हों तथा दिनांक 30.07.2021 का तारांकित प्रश्न संख्या 23 का लिखित उत्तर, लेकर दिनांक 10.08.2021 को समिति की बैठक में उपस्थित होने के लिए कहा गया था। साथ ही सचिव–एवं–पंजीयक, सहकारी समितियाँ, को यह सूचित किया गया कि वे नियम 90 कमेटी के सदस्यों, अर्थात उप सचिव (वित्त) तथा उप सचिव (विधि एवं न्याय) की उपस्थिति भी बैठक में सुनिश्चित करें।

12. दिनांक 10.08.2021 को सचिव–एवं–पंजीयक, सहकारी समितियाँ उपस्थित नहीं हुए। कार्यालय, पंजीयक, सहकारी समितियाँ, रा.रा.क्षे.दिल्ली सरकार से एक सूचना प्राप्त हुई जिसके अनुसार वे चिकित्सकीय कारणों से अवकाश पर थे। साथ ही, मियाँवाली डिस्ट्रिक्ट सीएचबीएस लिमिटेड के पूर्व पदाधिकारी भी बैठक में उपस्थित नहीं हुए।

13. उप सचिव (वित्त), सदस्य नियम 90 कमेटी श्री मनोज कुमार ने अपने शपथबद्ध बयान में कहा कि उन्होंने अनुसूची VII के खंड 23 में निर्दिष्ट मूल दस्तावेजों का अवलोकन नहीं किया। उन्होंने यह भी बताया कि सचिव–एवं–पंजीयक, सहकारी समितियाँ/अध्यक्ष नियम 90 कमेटी ने उन्हें आश्वस्त किया था कि सभी मूल दस्तावेज उपलब्ध हैं और उन्होंने देखे हैं और यह बिलकुल सही प्रकरण है। इसे नियम 90 कमेटी की बैठक के मिनिट्स में भी दर्ज किया गया है। सचिव–एवं–पंजीयक (सहकारी समितियाँ) के नियम 90 कमेटी के अध्यक्ष की हैसियत से दिए गए आश्वासन के आधार पर उन्होंने मिनिट्स पर हस्ताक्षर कर दिए।

14. इसके बाद उप सचिव (वित्त)/सदस्य नियम 90 कमेटी, श्री मनोज कुमार ने सचिव–एवं–पंजीयक, सहकारी समितियाँ को एक पत्र दिनांक 10.08.2021 दिल्ली के मुख्य सचिव के विशेष कार्याधिकारी तथा माननीय समिति को अवगत कराते हुए लिखा, जिसमें सूचना दी गई कि नियम 90 कमेटी की दिनांक 12.04.2021 की बैठक के निर्णयों/संस्तुतियों पर पुनः एक बैठक बुलाकर पुनर्विचार किया जाए क्योंकि दिनांक 10.08.2021 की सुनवाई के दौरान उनके संज्ञान में कुछ तथ्य आए हैं जिनके अनुसार श्री विकास धमीजा के मामले में मूल दस्तावेजों को सचिव–एवं–पंजीयक कार्यालय द्वारा नियम 90 कमेटी की बैठक आहूत करते समय जाँचा नहीं गया था।

15. उप सचिव (विधि एवं न्याय)/सदस्य नियम 90 कमेटी श्री रमेश राम ने अपने शपथबद्ध बयान में बताया कि श्री विकास धमीजा को 300 वर्गगज का भूखंड आवंटित किए जाने की संस्तुति के मामले में डीसीएस नियमावली, 2007 की अनुसूची VII के खंड 23 में निर्दिष्ट मूल दस्तावेज उन्हें नियम 90 कमेटी की बैठक के दौरान नहीं दिखाए गए थे। उन्होंने यह भी बताया कि सचिव–एवं–पंजीयक, सहकारी समितियाँ/अध्यक्ष नियम 90 कमेटी ने उन्हें आश्वस्त किया था कि उन्होंने सभी मूल दस्तावेजों को स्वयं देखा है।

16. इसके बाद, उप सचिव (विधि एवं न्याय)/सदस्य नियम 90 कमेटी श्री रमेश राम ने सचिव–एवं–पंजीयक, सहकारी समितियाँ को एक पत्र दिनांक 10.08.2021, दिल्ली के मुख्य सचिव के विशेष कार्याधिकारी को तथा माननीय समिति को सूचित करते हुए लिखा जिसमें यह सूचना दी गई कि दिनांक 10.08.2021 की बैठक की सुनवाई के दौरान उनके संज्ञान में कुछ तथ्य आए हैं जिनके अनुसार सचिव–एवं–पंजीयक कार्यालय द्वारा श्री विकास धमीजा के मामले में नियम 90 कमेटी की बैठक आहूत करते समय मूल दस्तावेजों को जाँचा नहीं गया था, अतः नियम 90 कमेटी की दिनांक 12.04.2021 की बैठक के निर्णयों/संस्तुतियों का पुनरावलोकन करने हेतु एक पुनः एक बैठक बुलाई जाए।

17. सचिव–एवं–पंजीयक, सहकारी समितियाँ तथा मियाँवाली डिस्ट्रिक्ट सीएचबीएस लिमिटेड के पूर्व पदाधिकारियों को बैठक का एक नोटिस संख्या No.Comm/Ques.Ref.Com/LAS/2020-25/1058-1059 दिनांक 12.08.2021 भेजा गया जिसमें उनसे मियाँवाली सीएचबीएस लिमिटेड से संबंधित सभी फाइलें/अभिलेख जो मियाँवाली डिस्ट्रिक्ट सीएचबीएस लिमिटेड के अधिक्रमण से संबंधित हों, तत्कालीन आरसीएस श्री जे.बी. सिंह द्वारा निर्दिष्ट जाँच जो तत्कालीन उप पंजीयक ने की थी, से संबंधित हों तथा दिनांक 30.07.2021 का तारांकित प्रश्न संख्या 23 का लिखित उत्तर, लेकर दिनांक 17.08.2021 को समिति की बैठक में उपस्थित होने के लिए कहा गया था।

18. दिनांक 17.08.2021 की कार्यवाही के दौरान सोसायटी के पूर्व सचिव श्री मनीष छाबड़ा ने अपने शपथबद्ध बयान में बताया कि उन्होंने श्री विकास धमीजा के नाम की स्वीकृति दी थी और उसे संस्तुत करके आरसीएस कार्यालय को भेजा था। जब उन्हें याद दिलाया गया कि उन्होंने पहले ही श्री हंसराज धमीजा के विरुद्ध उसकी संदेहास्पद सदस्यता के बारे में आरसीएस कार्यालय में शिकायत की थी और पहले ही अपना बयान एक विधिक न्यायालय के समक्ष दिया था, तो उन्होंने कहा कि उन्हें किसी कोर्ट/आरसीएस में अपनी किसी शिकायत/बयान की जानकारी नहीं है। समिति ने उनसे पूछा कि क्या उन्होंने इस समस्त विवरण का उल्लेख श्री विकास धमीजा के संबंध में सदस्यता निर्गम/दिविप्रा को भूखंड के आबंटन की संस्तुति करते समय किया था? इस पर वे इस संबंध में कोई भी तर्कसंगत उत्तर नहीं दे सके। उन्होंने समिति को यह भी बताया कि उनके पास इस समय कोई भी मूल अभिलेख नहीं हैं।

19. सोसायटी के पूर्व अध्यक्ष श्री राजन बाबू ने अपने शपथबद्ध बयान में बताया कि उन्होंने श्री हंसराज धमीजा के भुगतान का मूल विवरण और शेयर सर्टिफिकेट देखे थे। अनुसूची VII के अंतर्गत वांछित किसी अन्य मूल दस्तावेज को उन्होंने नहीं देखा। समिति ने पूछा कि क्या शेयर सर्टिफिकेट में नामांकित व्यक्ति का नाम था, इसके उत्तर में उन्होंने बताया कि शेयर सर्टिफिकेट के अनुसार श्री हंसराज धमीजा की नामांकित व्यक्ति उनकी पत्नी थी।

20. समिति की दिनांक 17.08.2021 की बैठक में सचिव–एवं–पंजीयक, सहकारी समितियाँ, को सूचित किया गया कि वर्तमान सोसायटी ने सूचित किया है कि उनके पास स्वर्गीय श्री हंसराज धमीजा का कोई मूल अभिलेख नहीं है। सचिव–एवं–पंजीयक, सहकारी समितियाँ को सूचित किया गया कि अधिकारियों के दल अर्थात अतिरिक्त पंजीयक, सहायक पंजीयक ओर अनुभाग अधिकारी सोसायटी में गए और उन्हें वर्तमान प्रबंध समिति ने बताया कि उनके पास कोई मूल अभिलेख नहीं हैं और इसके लिए वे नियमित रूप से सचिव–एवं–पंजीयक, सहकारी समितियाँ के कार्यालय में पत्राचार कर रहे हैं।

*****

टिप्पणियाँ

1. सचिव–एवं–पंजीयक, सहकारी समितियाँ द्वारा दिए गए तारांकित प्रश्न संख्या 23 दिनांक 30.07.2021 के उत्तर में यह निहित है कि भूखंड आवंटन की संस्तुति दिल्ली सहकारी समितियाँ अधिनियम, 2003 तथा दिल्ली सहकारी समितियाँ नियमावली, 2003 के प्रावधानों के अनुसार की गई थी। हालाँकि विभागीय प्रतिनिधियों और सोसायटी के पदाधिकारियों के बयानों तथा संबंधित दस्तावेजों के आधार पर यह प्रतीत होता है कि दिविप्रा को 300 वर्गगज के भूखंड के आवंटन हेतु संस्तुति किए जाने के मामले में अनियमितताएँ और अतिक्रमण हुए हैं। इस प्रकार, सदन को प्रश्न का असत्य और भ्रामक उत्तर दिया गया।

2. अनुसूची VII के खंड 23 के अनुसार –

   "The Co-operative housing society shall produce original records i.e. membership application and register thereof affidavits, residence proof, committee resolutions, share certificate and payment details etc. for verification of records."

   हालाँकि, कार्यवाही के दौरान और आरसीएस के संबंधित अधिकारियों के बयानों के अनुसार यह पता चला कि वांछित मूल दस्तावेजों का अवलोकन न तो सोसायटी और न ही सहकारी समितियाँ विभाग के अधिकारियों द्वारा किया गया।

3. मियाँवाली डिस्ट्रिक्ट सीएचबीएस लिमिटेड के पूर्व पदाधिकारियों ने एक प्रतिवेदन दिनांक 23.08.2021 के साथ माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के WP(C)7239/2019 & CM Appl. 25095/2021 में आदेश संख्या 18.08.2021 की प्रति संलग्न की है और अनुरोध किया है कि उन्हें इस मामले में परेशान न किया जाए। यह स्पष्ट किया जाता है कि यहाँ माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश चर्चा का विषय नहीं है और प्रश्न एवं संदर्भ समिति एक सीमित मुद्दे की जाँच कर रही है कि क्या तारांकित प्रश्न संख्या 23 का सही और उचित उत्तर दिया गया था? फिर भी, समिति का मानना है कि मियाँवाली डिस्ट्रिक्ट सीएचबीएस लिमिटेड के पूर्व पदाधिकारियों ने भी समिति की कार्यवाही के दौरान असत्य/मिथ्या जानकारी देकर समिति को भ्रमित करने का प्रयास किया है।

4. सचिव–एवं–पंजीयक, सहकारी समितियाँ, ने डीसीएस अधिनियम 2003, डीसीएस नियमावली 2007 का स्पष्ट उल्लंघन करते हुए बिना संबंधित मूल दस्तावेजों को प्रस्तुत किए और उनका सत्यापन किए तथा इस तथ्य के बावजूद कि सहायक पंजीयक और अतिरिक्त पंजीयक ने स्पष्ट रूप से यह निर्दिष्ट किया था कि अधिनियम और नियमावली में निर्धारित मूल दस्तावेज उन्हें नहीं दिखाए गए हैं, यह प्रकरण श्री विकास धमीजा पुत्र स्वर्गीय श्री हंसराज धमीजा को 300 वर्गगज का भूखंड आवंटित करने की संस्तुति हेतु नियम 90 कमेटी को भेज दिया। सचिव–एवं–पंजीयक, सहकारी समितियाँ ने अपने अधीनस्थ अधिकारियों पर श्री विकास धमीजा की सदस्यता निर्गम तथा उन्हें भूखंड आवंटित करने की संस्तुति की दुर्भावना से नियम 90 कमेटी की बैठक बुलाने हेतु दबाव डाला।

5. सचिव–एवं–पंजीयक, सहकारी समितियाँ ने श्री विकास धमीजा की सदस्यता निर्गम के मामले में जल्दबाजी में काम किया और नियम 90 कमेटी की बैठक इस तथ्य को नजरअंदाज करते हुए बुलाई कि जहाँ भी डीसीएस अधिनियम 2003 और डीसीएस नियमावली 2007 के अंतर्गत किसी विशिष्ट प्रावधान का पालन किया जाना है और यदि किसी भी कारण से उस प्रावधान का पालन नहीं हो पा रहा है, तो उसे डीसीएस अधिनियम 2003 की धारा 127 के अंतर्गत स्वीकृति हेतु सरकार के समक्ष प्रस्तुत करना होता है, जिसमें सहकारी समिति को अधिनियम के प्रावधानों से छूट की शक्ति प्रदान की गई है। धारा 127 के प्रावधान को नीचे उद्धृत किया जाता है :–

"*Government may, by general or special order, to be published in the official Gazette, exempt any co-operative society or class of cooperative societies from any of the provisions of this Act, or may direct that such provisions shall apply to such co-operative society or class of co-operative societies with such modification as may be specified in the order*".

6. नियम 90 कमेटी के अन्य सदस्यों अर्थात श्री मनोज कुमार, उप सचिव (वित्त) और श्री रमेश राम, उप सचिव (विधि एवं न्याय) ने यह स्वीकार किया कि उन्होंने मूल दस्तावेजों का अवलोकन नहीं किया था, परंतु उन्हें सचिव–एवं–पंजीयक, सहकारी समितियाँ/कमेटी के अध्यक्ष द्वारा आश्वस्त किया गया था कि दस्तावेज ठीक हैं और सभी वांछित/मूल दस्तावेजों का अवलोकन कर लिया गया है। अब, इन दोनों ने ही समिति को सूचित किया है कि उन्होंने सचिव–एवं–पंजीयक, सहकारी समितियाँ से यह अनुरोध किया है कि वे कमेटी के श्री विकास धमीजा के पक्ष में भूखंड आवंटन निर्गम के निर्णय पर पुनर्विचार करें।

7. सचिव–एवं–पंजीयक, सहकारी समितियाँ ने अपना लिखित उत्तर दिनांक 25.08.2021 जमा किया है जो इस सचिवालय में दिनांक 27.08.2021 को अर्थात निर्धारित समयावधि के बाद, प्राप्त हुआ है। इसमें उन्होंने श्री विकास धमीजा के नाम की संस्तुति का विभिन्न नियमों और निर्णयों का हवाला देते हुए उचित ठहराया है। हालाँकि, समिति की कार्यवाही में चर्चा का मुख्य विषय श्री विकास धमीजा को डीसीएस अधिनियम और नियमावली का उल्लंघन करते हुए सदस्यता प्रदान करने संबंधी तारांकित प्रश्न संख्या 23 दिनांक 30.07.2021 का गलत उत्तर दिया जाना था।

8. मियाँवाली डिस्ट्रिक्ट सीएचबीएस लिमिटेड के वर्तमान पदाधिकारियों ने रु.78,209/– की राशि जमा कराए जाने की मूल रसीद संख्या 13229 दिनांक 31.03.2000 प्रस्तुत की है। हालाँकि धनराशि को बैंक में दिनांक 22.12.1994 को जमा कराया हुआ दिखाया गया है, जिससे नियमों के खुले उल्लंघन का पता चलता है क्योंकि रसीद को उक्त धनराशि को जमा कराने के लगभग छह वर्ष बाद जारी किया गया है, जो असंगत प्रतीत होता है।

*****

संस्तुतियाँ

1. जैसा कि दस्तावेजों और विभागीय प्रतिनिधियों तथा सोसायटी के वर्तमान और पूर्व पदाधिकारियों द्वारा दी गई जानकारी से पता चलता है कि तारांकित प्रश्न संख्या 23 दिनांक 30.07.2021 का उत्तर असत्य और भ्रामक था, जो कि एक गंभीर मामला है। इसके अतिरिक्त सचिव–एवं–पंजीयक (सहकारी समितियाँ) द्वारा अपनाई गई पूरी प्रक्रिया में दिल्ली सहकारी समितियाँ अधिनियम, 2003 और दिल्ली सहकारी समितियाँ नियमावली, 2007 का स्पष्ट उल्लंघन प्रतीत होता है।

2. समिति का यह मत है कि विधानसभा को और प्रश्न एवं संदर्भ समिति को आरसीएस कार्यालय/मियाँवाली डिस्ट्रिक्ट सीएचबीएस लिमिटेड के पूर्व पदाधिकारियों द्वारा गलत और भ्रामक जानकारी प्रदान करना एक गंभीर मामला है और यह विशेषाधिकार का हनन और अवमानना है, जिसे आगे विचार हेतु विशेषाधिकार समिति के समक्ष रखा जाना चाहिए।

3. प्रश्न और संदर्भ समिति का यह भी मत है कि श्री विकास धमीजा का नाम दिविप्रा को भूखंड आवंटन हेतु संस्तुत करने में सचिव–एवं–पंजीयक, सहकारी समितियाँ, श्री देविंदर सिंह के आचरण की भी पूरी तरह से जाँच किए जाने की आवश्यकता है। समिति यह संस्तुति करती है कि रा.रा.क्षे.दि.सरकार के मुख्य सचिव एक प्राथमिक जाँच करें और इसकी रिपोर्ट सरकार के समक्ष प्रस्तुत करें क्योंकि सचिव–एवं–पंजीयक, सहकारी समितियाँ दिनांक 30.11.2021 को सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं। श्री देविंदर सिंह, सचिव–सह–पंजीयक, सहकारी समितियाँ के दुराचार की प्राथमिक जाँच में अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित आयामों को सम्मिलित किया जाना चाहिएः

(क) क्या मियाँवाली डिस्ट्रिक्ट सीएचबीएस लिमिटेड ने श्री विकास धमीजा को सदस्यता स्थानांतरित करने के मामले में डीसीएस अधिनियम के खंड 28 के प्रावधानों का पालन किया था और क्या डीसीएस नियमावली 2007 के अंतर्गत वह किसी प्रकार की अयोग्यता का पात्र बनता था और सचिव–एवं–पंजीयक, सहकारी समितियाँ द्वारा श्री विकास धमीजा के पक्ष में भूखंड आवंटन हेतु दिविप्रा को संस्तुति करने मे इन आयामों को नज़रअंदाज़ करने संबंधी बरती गई लापरवाही।

(ख) अनुसूची VII के खंड 23 के अंतर्गत वांछित मूल दस्तावेजों की अनुपस्थिति में आरसीएस कार्यालय के अधिकारियों/कर्मचारियों की भूमिका तथा नियम 90 कमेटी के अध्यक्ष होने के नाते सचिव–सह–पंजीयक, सहकारी समितियाँ की इनको नज़रअंदाज़ करते हुए श्री विकास धमीजा के संबंध में सदस्यता निर्गम तथा संस्तुति करना।

(ग) क्या संबंधित सहायक पंजीयक ने अनुसूची VII के खंड 26 के प्रावधानों का पालन किया अथवा उनकी ओर से इस संबंध में कोई लापरवाही बरती गई?

(घ) क्या, यदि सचिव–एवं–पंजीयक, सहकारी समितियाँ द्वारा डीसीएस अधिनियम 2003 और डीसीएस नियमावली 2007 के किन्ही प्रावधानों का पालन करना संभव नहीं था तो क्या डीसीएस अधिनियम 2003 की धारा 127 के अंतर्गत वांछित सरकार द्वारा स्वीकृति सचिव–एवं–पंजीयक, सहकारी समितियाँ द्वारा माँगी गई थी?

(ङ) क्या नियम 90 कमेटी के सदस्यों ने श्री विकास धमीजा के नाम का निर्गम करने और 300 वर्गगज के भूखंड हेतु दिविप्रा को उनका नाम संस्तुत करने में, डीसीएस अधिनियम और नियमावली द्वारा अधिरोपित, अपने वैधनिक कर्तव्य का पालन किया?

(च) तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कोई अन्य उपयुक्त मामलें।

4. प्रश्न एवं संदर्भ समिति का यह भी मत है कि रिपोर्ट को दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल को उनकी सूचनार्थ एवं आगे आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजा जाए।

ह0/-

दिनांक : 09.09.2021

(राखी बिरला)
सभापति
प्रश्न एवं संदर्भ समिति

*****

विधान सभा प्रश्न

तत्काल / आज ही

कार्यालय पंजीयक सहकारी समितिया
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
ओल्ड कोर्ट बिल्डिंग संसद मार्ग नई दिल्ली - 110001

फा0 संख्या : 47/AR/Sec-IV/H/RCS/107658001/477 दिनांक 29/07/2021

सेवा मे

उप सचिव (प्रश्न शाखा)
दिल्ली विधान सभा सचिवालय
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
पुराना सचिवालय, दिल्ली - 110054

विषयः— उत्तर तारांकित प्रश्न स0 23 दिनांक 30.07.2021 के लिए।

महोदय,

आपके पत्र दिनांक 22/07/2021 के संदर्भ में प्रश्न संख्या 23 तारांकित का उत्तर प्रेषित है जो की विभागाध्यक्ष द्वारा स्वय हस्ताक्षरित है और माननीय मंत्री (सहकारिता) द्वारा अनुमोदित है तथा निर्देशानुसार 100 प्रतिलिपियां एवम् सॉफ्ट कॉपी पेनड्राइव मे संलग्न है।

संलग्न :-

(1) 100 प्रतिलिपियां
(2) पेनड्राइव मे सॉफ्ट कॉपी

29/7/21
(अशफाक़ अहमद अरफ़ी)

सहायक पंजीयक (समन्वय)

कार्यालय, पंजीयक, सहकारी समितियां

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

पुरानी कचहरी परिसर, संसद मार्ग, नई दिल्ली

तारांकित प्रश्न संख्या : **23**

दिनांक: : **30/07/2021**

प्रश्नकर्ता का नाम : **श्री सौरभ भारद्वाज**

क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :

प्रश्न	**उत्तर**
क. क्या विभाग को मियांवाली हाउस बिल्डिंग सोसायटी में अनियमितताओं की कोई शिकायत प्राप्त हुई है।	क) जी हाँ,
ख. क्या यह सत्य है कि एक व्यक्ति को दिल्ली सहकारी समिति नियम, 2007 का उल्लंघन करते हुए इसकी सदस्यता प्रदान की गई थी। ग. क्या यह सदस्यता मूल दस्तावेजों की मांग किए बिना प्रदान की गई थी, जबकि नियमों के ऐसा नियत है।	(ख व ग) सदस्यता सोसायटी की मैनेजिंग कमेटी द्वारा प्रदान की जाती है। दिल्ली सहकारी समिति नियमावली, 2007 के प्रावधानों का पालन किए बिना सदस्यता दिए गए व्यक्ति का ब्यौरा नहीं दिया गया है। प्रश्न के घ भाग से प्रतीत होता है कि यह प्रश्न श्री विकास धमीजा से सम्बंधित है। इसका विवरण प्रश्न घ भाग में विस्तार से किया है।
घ. दिल्ली सहकारी समिति अधिनियम के प्रावधानों और नियमावली का पालन किए	घ. 1) सोसायटी की मैनेजिंग कमेटी ने **22-05-2018** को एक प्रस्ताव पेश किया था कि स्वर्गीय श्री हंस राज धमीजा वर्ष **1966** से मेम्बरशिप नंबर **1102** के साथ

देविन्द्र सिंह

बिना इस व्यक्ति के लिए डीडीए को 300 वर्ग गज के भूखंड आवंटित किए जाने की संस्तुति किए जाने के क्या कारण है।	**632** सदस्यों की मूल फ्रीज सूची के सदस्य थे और इस तथ्य को माननीय उच्च न्यायालय के डब्ल्यूपीसी संख्या **5580/1993**, केस मुलख राज चावला **v/s** आरसीएस के दिनांक **30.10.1995** के आदेश के तहत आर.सी. एस द्वारा नियुकत इलेकशन अफ़सर कम चेयरपरसन कम अबसरवर, श्री आर.सी. रिछारिया ने दिनाकं 11.04.1996 को स्वीकार किया था। इस तरह स्वर्गीय श्री हंस राज धमीजा एक वैध रूप से नामांकित फ्रीज सूची के सदस्य थे. 2. मियांवली डिस्ट्रिक्ट सीएचबी्स लिमिटेड की मैनेजिंग कमेटी ने **22.05.2018** को मंजूरी के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए प्रमाणित किया था कि स्वर्गीय श्री हंस राज धमीजा फ्रीज सूची के सदस्य थे और उनकी मृत्यु पर आवश्यक औपचारिकताओं का पालन करने के बाद, स्वर्गीय श्री हंस राज धमीजा की सदस्यता **30.12.2017** को उनके असली बेटे श्री विकास धमीजा को स्थानांतरित कर दी गई थी। 3. सोसायटी की मैनेजिंग कमेटी ने प्रस्ताव के साथ निम्नलिखित दस्तावेज उपलब्ध कराए थे:- (i) सोसायटी के उपाध्यक्ष और सचिव द्वारा हस्ताक्षरित फॉर्म डी (अनुसूची VII के खंड 16 में संदर्भित) पर हलफनामा। (ii) सोसायटी के उपाध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित फॉर्म जी में हलफनामा। (iii) श्री विकास धमीजा द्वारा हस्ताक्षरित फॉर्म सी (अनुसूची VII के खंड 13 में संदर्भित) पर हलफनामा। (iv) गृह मंत्रालय में श्री रविंदर नाथ पीएस के आई कार्ड की प्रति के साथ श्री विकास धमीजा के फॉर्म एफ पर सत्यापन प्रमाण पत्र।

देविन्द्र सिंह

	(v) पैन कार्ड की प्रति (vi) आधार कार्ड (vii) वित्तीय आयुक्त के आदेश दिनांक 28.10.1994. सोसाइटी ने प्रस्ताव पर आपातियाँ आमंत्रित करने के लिए विज्ञापन दो प्रमुख समाचार पत्रों स्टेट्समैन (अंग्रेजी) और राष्ट्रीय सहारा (हिंदी) में प्रकाशित किया. सोसाइटी ने जानकारी दी कि इस प्रस्ताव पर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई थी। उपर्युक्त के अतिरिक्त सदस्य श्री विकास धमीजा ने अपने पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज भी प्रस्तुत किए हैं जिनका विधिवत सत्यापन किया गया।. (i) स्वर्गीय श्री हंस राज धमीजा के नाम पर शेयर प्रमाण पत्र की विधिवत हस्ताक्षरित प्रति। (ii) स्वर्गीय श्री हंस राज धमीजा के नाम पर राशन कार्ड की विधिवत हस्ताक्षरित प्रति। (iii) मियांवाली जिला सीएचबीएस द्वारा जारी भुगतान रसीद की विधिवत हस्ताक्षरित प्रति। (iv) स्वर्गीय श्री हंस राज धमीजा की सदस्यता के लिए आवेदन की विधिवत हस्ताक्षरित प्रति। (v) वित्तीय आयुक्त के आदेश दिनांक 28.10.1994 की विधिवत हस्ताक्षरित प्रति (vi) 78209/- रुपये की रसीद संख्या 13229 की विधिवत हस्ताक्षरित प्रति (vii) सोसायटी के स्वर्गीय श्री हंस राज धमीजा के व्यक्तिगत खाते की विधिवत हस्ताक्षरित प्रति। (viii) श्री विकास धमीजा के संबंध में सदस्यता रजिस्टर के प्रासंगिक पृष्ठ की विधिवत हस्ताक्षरित प्रति।

देविन्द्र सिंह

	(ix) सी.वी.सी के परिपत्र संख्या 40/11/06 की विधिवत हस्ताक्षरित प्रति। 4. श्री विकास धमीजा के बारे में सोसायटी की मैनेजिंग कमेटी ने प्रमाणित किया था कि मैनेजिंग कमेटी ने 30.12.2017 को हुई अपनी बैठक में संबंधित अभिलेखों की जांच की है और खुद को संतुष्ट किया हे कि यह सदस्य दिल्ली सहकारी समिति अधिनियम, 2003, दिल्ली सहकारी समिति नियम 2007, व पंजीकृत उप-नियमों के तहत वैध सदस्यता की आवश्यकता को पूरा करने वाले सदस्य है। .5इस तथ्य के बावजूद, कि सोसायटी की मैनेजिंग कमेटी ने **22.05.2018** को प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, श्री विकास धमीजा पुत्र स्वर्गीय श्री हंस राज धमीजा को आरसीएस द्वारा अपनी सदस्यता को स्वीकृत करने में देरी के कारण दिल्ली के माननीय उच्च न्यायालय में डब्ल्यूपीसी संख्या **7239/2019** के तहत रिट दायर करनी पड़ी थी। माननीय उच्च न्यायालय ने **09.07.2019** को निर्देश दिए थे कि "याचिकाकर्ता की शिकायत यह है कि सहकारी समिति के रजिस्ट्रार ने अभी तक आवंटन के लिए याचिकाकर्ता के नाम की मंजूरी पर निर्णय नहीं लिया है। उत्तरदाताओं को उक्त देरी के कारणों का खुलासा करने का निर्देश दिया जाता है । अगली तारीख से पहले मूल रिकॉर्ड उपलब्ध रखा जाएगा। जवाब, यदि कोई हो, छह सप्ताह के भीतर दायर किया जाए । इस रिट में सोसायटी की मैनेजिंग कमेटी पहले ही हलफनामा दाखिल कर चुकी है कि उन्होंने श्री विकास धमीजा के मामले की सिफारिश की है।

देविन्द्र सिंह

6. इसी तरह के एक अन्य मामले में एक फ्रीज सूची सदस्य सुश्री मंजू बत्रा द्वारा डब्ल्यूपीसी नंबर **12537/2004** दायर की गई । माननीय उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में उल्लेख किया है कि "सोसायटी पहले ही याचिकाकर्ता के नाम को मंजूरी दे चुकी है और नाम उस अध्यक्ष द्वारा भेजा गया था जिसे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा डब्ल्यूपीसी नंबर **5580/1993** में पारित आदेश के तहत नियुक्त किया गया था, जिसका शीर्षक है मुलख राज चावला **v/s** रजिस्ट्रार और एक अन्य, याचिकाकर्ता का नाम **30** अक्टूबर **1995** के आदेश के तहत मंजूरी दे दी गई है कि वह भी उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त किए गए व्यक्ति द्वारा, हमें कोई कारण नहीं दिखता कि रजिस्ट्रार को-ऑपरेटिव सोसायटी पिछले **10** वर्षों से उसका नाम स्वीकृत न कर के याचिकाकर्ता को परेशान क्यों कर रही है। इन परिस्थितियों में, हम रजिस्ट्रार, सहकारी समिति पर रु**25000 /-** की कॉस्ट लगाकर इस याचिका की अनुमति देते हैं, जो कि **15** दिनों के भीतर जिम्मेदारी तय करने के बाद इस तरह की अत्यधिक देरी के लिए जिम्मेदार अधिकारी से वसूल किया जाना चाहिए ।

7. इसी तरह के प्रतिकूल आदेशों से बचने के लिए, श्री विकास धमीजा के मामले में नियम 90 के तहत सांविधिक समिति, जिसमे सचिव (सहयोग)(अध्यक्ष), अपर आरसीएस, उप सचिव (वित्त) और उप सचिव (कानून) सदस्य थे, के द्वारा दिनांक **16.04.2021** को हुई बैठक में, मियांवाली डीएचबीएस लिमिटेड की मैनेजिंग कमेटी की विशिष्ट सिफारिशों को उचित जांच के बाद सही पाया गया और विभिन्न स्तरों पर आरसीएस कार्यालय में अधिकारीयों द्वारा जाँच और

	सभी प्रासंगिक तथ्यों पर विचार करने के बाद अनुमोदित किया गया। 8. यह सिफारिश इसलिए की गई है क्योंकि यह सदस्यता दिल्ली सहकारी समिति अधिनियम, 2003, दिल्ली सहकारी समिति नियम 2007, व सोसाइटी के पंजीकृत उप-नियमों के अनुसार उचित है।
ड.) क्या यह भी सत्य है कि सहायक पंजीयक व अतिरिक्त पंजीयक ने इस व्यक्ति को सदस्यता दिए जाने का विरोध किया था ।	सदस्यता के सत्यापन के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त होने पर आरसीएस कार्यालय में प्रशासनिक पदानुक्रम के विभिन्न स्तरों के अधिकारी छानबीन करते हैं और अपने विचार प्रस्तुत करते हैं, लेकिन यदि मांगी जा रही जानकारी अभिलेखों में पहले से ही उपलब्ध है, तो अगला उच्च अधिकारी हमेशा एक अलग दृष्टिकोण अपना सकता है और इस मामले में अंतिम दृष्टिकोण को नियम **90** के तहत सांविधिक समिति द्वारा अनुमोदित किया गया।
च) सहायक पंजीयक द्वारा की गई आपत्तियों का विवरण तथा जिस प्रकार इन आपत्तियों का निराकरण किया गया उसका विवरण दें; और	सहायक पंजीयक ने बस इतना कहा था कि सोसायटी ने अनुसूची सातवीं के अनुसार उनके समक्ष मूल अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए हैं। सोसायटी की मैनेजिंग कमेटी की सिफारिश, विशेष रूप से यह तथ्य कि स्वर्गीय श्री हंसराज धमीजा फ्रीज सूची के सदस्य थे, पर विधिवत विचार किया गया है और सदस्य को जारी सोसायटी के उपलब्ध मूल अभिलेखों का सदस्य के माध्यम से विभाग के अधिकारियों द्वारा विधिवत सत्यापन किया गया । आपत्तियां मान्य नहीं पाई गई और नियम **90** सांविधिक समिति ने सोसाइटी की सिफारिश को उचित माना, विशेष रूप से यह तथ्य कि मूल सदस्य एक फ्रीज सूची सदस्य था जिसकी सदस्यता उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद उनके वास्तविक बेटे श्री विकास धमीजा के पक्ष में

	स्थानांतरित कर दी गई थी और सोसाइटी की मैनेजिंग कमेटी द्वारा दिनांक **30.12.2017** का प्रस्ताव पारित किया गया था। सोसायटी द्वारा सदस्य को जारी किए गए रिकॉर्ड की पुष्टि की गई और मामले में आगे की कार्रवाई के लिए डीडीए को सिफारिश की गई ।
छ) क्या यह भी सत्य है कि इस घटना के बाद सहायक रजिस्ट्रार को उसके सभी दायित्वों से मुक्त कर दिया गया था?	संबंधित सहायक रजिस्ट्रार 25.04.2021 को होने वाले गुरुद्वारा चुनाव में 02 विधान सभा क्षेत्र के लिए रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में प्रतिनियुक्त किया गया था और बाद में उन्हें कोविड ड्यूटी पर तैनात कर दिया गया था । न्यायालय की अवमानना के विभिन्न मामले लंबित होने के कारण अनुभाग/शाखा के सुचारू संचालन के लिए एक अन्य सहायक रजिस्ट्रार को इसका प्रभार दिया गया था । आगे संबंधित सहायक रजिस्ट्रार को सेवा विभाग के आदेश संख्या 311 दिनांक 12.07.2021 के तहत स्थानांतरित किया गया था, जिसमें कहा गया कि अधिकारी सहकारिता विभाग से किसी भी आदेश की प्रतीक्षा किए बिना कार्यमुक्त रहेंगे।

देविन्दर सिंह
विभागाध्यक्ष

DEVINDER SINGH, IAS
Secretary (Co-op)-cum-Registrar (Co-op Societies)
Govt. of N.C.T. of Delhi.
Old Court Building,
Parliament Street, New Delhi-110001